

न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(55)2018/ 222 दिनांक : 10, मई, 2018

निमित्त,
तहसीलदार
राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. भुभरचण्ड सिंह ठोठा बौरा निर रतन खेड़ी
2. देवराज सिंह ठोठा बौरा निर रतन खेड़ी
3. सुलमी सिंह ठोठा बौरा निर रतन खेड़ी
4. सोमर सिंह ठोठा बौरा निर रतन खेड़ी
5. सायमी सिंह ठोठा बौरा निर रतन खेड़ी
6. भुवानी ठोठा बौरा निर रतन खेड़ी
7. माधु सिंह ठोठा बौरा निर रतन खेड़ी

प्रार्थीगण

- बनाम
1. शानिलाल सिंह सांगी जो का किराया सदात निर पंडत
 2. शिवधारी सिंह या जो निर देवाजी (बतर खेड़ी)
 3. लक्ष्मीराम सिंह जो श्री निर देवा
 4. जमिंदार सिंह नारायण जो निर रतन खेड़ी
 5. शंकर भात सिंह देवीमाल देवी निर सदात (पंडत)
 6. सुनिधारी तहसीलदार राशमी
 7.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 55/2018

-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 400/- रुपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता मौजा बरतन खेड़ी पटवार हल्का फुंछा तहसील राशमी में स्थित आराजी संख्या 22, 216, 217, 518 की दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में चारों है कि दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद एवं किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन प्रभावी न हो तो तथा मौके पर फसल खड़ी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें, मौके पर किसी प्रकार का विवाद होने पर पत्थरगढ़ी नहीं कि जावे एवं इसी आशय का पर्चा मौका प्रेषित करावें। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका पेश करे तथा कमिश्नर फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें।



401
(पंकज शर्मा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी);
राशमी, चित्तौड़गढ़